राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः–प.17(1)नविवि/अभियान/2021/ **जयपुर, दिनांकः** 1 SEP 2021

आदेश

नगरीय निकायो द्वारा आवंटित भूखण्डों एवं भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90–ए के अन्तर्गत जारी की गयी लीज डीड/पट्टों में निर्धारित अवधि में भवन निर्माण करना आवश्यक है। इसी प्रकार धारा 90–बी व भूमि अवाप्ति के बदले आवंटित भूखण्डों में पट्टा/लीज डीड की दिनांक से 10 वर्ष में निर्माण किया जाना आवश्यक है।

कोविड–19 के मध्यनजर आदेश दिनांक 12.05.2021 द्वारा निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं करने पर पुनर्ग्रहण राशि की गणना दिनांक 31.12.2021 तक निर्माण अवधि विस्तार करने की छूट प्रदान की गयी थी। उक्त छूट अभियान अवधि (दिनांक 31.03.2022) तक बढ़ायी जाती है।

अधिसूचना दिनांक 12.05.2020 के अनुसार निर्माण अवधि विस्तार की दिनांक तक भवन निर्माण अनुज्ञा की अवधि स्वतः ही बढी हुयी मानी जावेगी।

लीज डीड/पट्टों में निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं करने पर देय बकाया पुनर्ग्रहण राशि में 60 प्रतिशत की छूट अभियान अवधि (दिनांक 31.03.2022) में प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. डॉ. जी. एस. संधु, (सेवानिवृत आईएएस), सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
6. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
8. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग जयपुर।
9. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
10. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त, राजस्थान।
11. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि।
12. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

Scanned with CamScanner